भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 789

05 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

करनाल म सीजीएचएस स्वास्थ्य कद्र

789 : श्री संजय भाटिया

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार को करनाल (हरियाणा) म केद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) एलोपैथी/स्वास्थ्य कद्र खोलने के लिए संबंधित हितधारकों और जन प्रतिनिधियों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त हो रहे ह

(ख) यदि हां, तो इस संबंध म की गई कारवाई का ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), गहू अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूआर), कद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई), राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर) और अन्य विभागों और कद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे विभिन्न अग्रणी संस्थानों के कायरत कमचारियों और अन्य कद्रीय पशनरों की संख्या को ध्यान म रखते हुए, उक्त औषधालय/स्वास्थ्य कद्र खोलने के लिए आवश्यक मानदंड पूरे ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त औषधालय/स्वास्थ्य कद्र कब तक खुलने की संभावना है।

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से करनाल, हरियाणा सहित नए स्थानों पर नए सीजीएचएस आरोग्य कद्र खोलने हेतु अनुरोध प्राप्त होते ह। नए शहर म सीजीएचएस आरोग्य कद्र खोलने हेतु मौजूदा मानदंडों के अनुसार इस प्रकार के अनुरोध की जांच की जाती है। नए सीजीएचएस आरोग्य कद्र तभी खोला जाता है यदि न्यूनतम 600 काडधारक हो और संसाधन उपलब्ध हों। वतमान म करनाल, हरियाणा म नए आरोग्य कद्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****